

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्या: पीसीएच-एचए(1) 19/2008-III-20020-178- तारीख, शिमला-09 27/04/2024

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 19 फरवरी, 2024 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2024 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित जन साधारण से आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 28 फरवरी, 2024 को प्रकाशित किए गए थे;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (3)1/94-19181-362, तारीख 25 नवम्बर, 1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में तारीख 25 नवम्बर, 1997 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(सामान्य) और प्रारम्भ। संशोधन नियम, 2024 है।
- (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- नियम 21 का 2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 (जिन्हें इसमें संशोधन। इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 21 के उप-नियम (1) में,

(क) “परिवार रजिस्टर” शब्दों के स्थान पर “ऑनलाइन परिवार रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) उप-नियम (1) के अधीन तैयार किए जाने हेतु अपेक्षित ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की प्रविष्टियां पुनरीक्षित की जाएंगी और जन्म, मृत्यु, विवाह और अन्य पंचायत/क्षेत्र से अंतरण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियां रजिस्टर में की जाएंगी। कोई अन्य परिवर्धन या परिवर्तन किसी अधिप्रमाणित साक्ष्य के बिना नहीं किया जा सकेगा। परिवार में विभाजन की दशा में, कुटुंब के पृथकीकरण की प्रविष्टियां केवल ऑनलाइन परिवार रजिस्टर में, सम्बद्ध कुटुंब के मुखिया द्वारा किए गए आवेदन पर और सम्बद्ध वार्ड मेंबर की सिफारिश पर ग्राम सभा द्वारा इसकी साधारण या विशेष बैठक में बहुमत द्वारा पारित संकल्प में लिए गए निर्णय के आधार पर ही की जाएंगी। तथापि, ग्राम सभा कुटुंब के विभाजन के बारे में मामले का विनिश्चय करते समय, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (13-क) के अधीन यथा परिभाषित कुटुंब की परिभाषा को ध्यान में रखेगी। विभाजन के कारण पृथक कुटुंब से प्रविष्टियां, ग्राम सभा के संकल्प की संख्या और तारीख उल्लिखित करते हुए ग्राम सभा के अनुमोदन के तत्काल पश्चात् की जाएंगी। पंचायत निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह पंचायत सचिव द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् इन प्रविष्टियों को सत्यापित करें। वह पंचायत सचिव द्वारा प्ररूप-19 क में तैयार किए गोशवारा पर भी डिजिटल हस्ताक्षर करेगा:


परन्तु कुटुंब के पृथक्करण की बाबत ऑनलाइन परिवार रजिस्टर में तब तक कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी जब तक कि इस प्रकार विभाजित पृथक कुटुंब की शौचालय में पहुंच/आना जाना नहीं है/हो।

(ग) उप-नियम (3) और (4) का लोप किया जाएगा तथा उप-नियम (5) और (6) को क्रमशः (3) और (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।”

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: पीसीएच-एचए(1) 19/2008-III-20020-178- तारीख, शिमला-09 27/04/2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. सयुक्त सचिव (समान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 09.02.2024 (मद संख्या-11) के सन्दर्भ में।
5. समस्त जिला पंचायत अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद, हिमाचल प्रदेश।
6. प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा जिला शिमला, बैजनाथ जिला कांगडा एवं थुनाग जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति, हिमाचल प्रदेश।
8. ई-गजट।


विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।